

अनवान

1. देव कन्सट्रक्शन जरिये प्रोपराइटर गोपी लाल गुर्जर पुत्र श्री धुकल लाल गुर्जर निवासी कल्याणपुरा प.ह. स्वरूपगंज तह हमीरगढ भीलवाडा(राज.) मृतक के वजाय:-
 - 1/1 शंकर लाल पुत्र स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/2 रतन लाल पुत्र स्व० श्री गोपालाल गुर्जर
 - 1/3 पम्पू लाल पुत्र स्व० स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/4 मुकेश पुत्र स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/5 लाली पुत्री स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/6 राधा पुत्री स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/7 चांदी पुत्र स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/8 लक्ष्मी पुत्री स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर।
 - 1/9 श्रीमती देउ बाई पत्नी स्व० श्री गोपीलाल गुर्जर निवासीयान कल्याणपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती चांदी पत्नी बालकराम गुर्जर निवासी कल्याणपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री शंकर लाल पुत्र श्री नारायण लाल रेबारी निवासी कल्याणपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री जोदा पिता नारायण लाल रेबारी निवासी कल्याणपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 31-08-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.07.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का स्वरूपगंज भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 59 की कृषि भूमि की आ.न. 637/441 रकबा 0.3414 है. एवं आ.न. 751/440 रकबा 0.2529 है० कुल किता 02 कुल रकबा 0.5943 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का स्वरूपगंज भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 59 की कृषि भूमि की आ.न. 637/441 रकबा 0.3414 है. एवं आ.न. 751/440 रकबा 0.2529 है० कुल किता 02 कुल रकबा 0.5943 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फाँसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

